(90)

समाहरणालय,मधेपुरा।

(सामान्य शाखा)

आदेश

सरकार के अवर सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-29 दिनांक- 06/09/2016 से वित्तीय बर्ष 2016- 17 में गैर योजना के मांग संख्याँ-22, मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, उप मुख्य शीर्ष-00, लधु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस, उप शीर्ष-0001- के बिषय शीर्ष 13 06- वर्दी/पोशाक मद में मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन-मो0-12,33,000/-(बारह लाख तैतीस हजार) रू0 तथा 05 01-पुरस्कार मद में मो0-2800/- (दो हजार आठ सौ) रू0 मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नप्रकार अंचल अधिकारियों को अंचलवार उपावंटित किया जाता है।

कमांक	अंचलाधिकारी का नाम	पुरस्कार मद में उपावंटित राशि	वर्दी /पोशाक मद में उपावंटित राशि
1	अंचल अधिकारी,मधेपुरा।	300.00	2,01,000.00
2	अंचल अधिकारी,धैलाढ़।	200.00	60,000.00
3	अंचल अधिकारी,गम्हरिया।	200.00	81,000.00
4	अंचल अधिकारी,सिंहेश्वर।	200.00	54,000.00
5	अंचल अधिकारी, शंकरपुर।	200.00	30,000.00
6	अंचल अधिकारी,कुमारखंड।	300.00	1,38,000.00
7	अंचल अधिकारी,मुरलीगंज।	200.00	1,26,000.00
8	अंचल अधिकारी,उदाकिशुनगंज।	200.00	1,08,000.00
9	अंचल अधिकारी,ग्वालपाड़ा।	200.00	72,000.00
10	अंचल अधिकारी,बिहारीगंज।	200.00	1,11,000.00
11	अंचल अधिकारी,पुरैनी।	200.00	81,000.00
12	अंचल अधिकारी,चौसा।	200.00	93,000.00
13	अंचल अधिकारी,आलमनगर।	200.00	78,000.00
	कुल-	**2800.00**	**12,33,000.00**

गृह (आरक्षी) विभाग,बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-- 484 दिनांक-21/01/2015 के आलोक में चौकीदार/दफादार को रू0-3,000/- (तीन हजार) प्रति कर्मी की दर से स्वीकृत वर्दी भत्ता उक्त राशि से उनके वेतनादि भुगतान से सम्बद्ध बैंक खाते में भुगतान किया जाय।

उपावंटन की शर्त्ते-

(1) यह राशि गैर योजना मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस- उप मुख्य शीर्ष-00-लधु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस- उप शीर्ष-0001-चौकीदार - दफादार स्थापना अंतर्गत वेतनादि भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षो एवं (विपत्र कोड-एन 205500110001,मांग संख्याँ-22) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(2) उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार-दफादार के बकाये बेतनादि से सम्बंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस उपावंटित राशि से किया जाय और तत्पश्चात् अतिरिक्त राशि की मांग की जाय।

(3) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ- 2561 दिनांक-17/04/1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(4) किसी भी परिस्थिति में उपावंटित राशि का विचलन कर किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जाएगा अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5) उपावंटित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक- 25 मार्च, 2017 तक बिना चूक के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(6) उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित प्रपत्र पर की जाय, विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को सलंग्न किया जाय तथा कार्यालय में निकासी एवं व्यय पंजी का संधारण किया जाय।

(7) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(8) डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

(9) कार्यालय में निकासी एवं व्यय पंजी का संधारण किया जाय।

इसकी सूचना सम्बंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-1701 /सा0,मधेपुरा दिनांक-24 अक्टुबर, 2016

प्रतिलिपि- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को (आवंटन पत्र की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज (आवंटन पत्र की छायाप्रति सलंग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इसे जिला के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सभी सम्बंधितों को ईमेल कर दी जाय।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सरकार के अवर सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना / आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

(15)

पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो0–01–14 / 2016गृ0आ0................. /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना / नालन्दा / भोजपुर / बक्सर / रोहतास /
कैमूर / गया / नवादा / औरंगाबाद / जहानाबाद / अरवल /
सारण / सीवान / गोपालगंज / मुजफ्फरपुर / पूर्वी चम्पारण /
पश्चिम चम्पारण / वैशाली / सीतामढ़ी / शिवहर / दरभंगा /
समस्तीपुर / मधुबनी / भागलपुर / बांका / मुंगेर / जमुई /
बेगूसराय / लखीसराय / शेखपुरा / खगड़िया / सुपौल /
मधेपुरा / सहरसा / कटिहार / पूर्णियाँ / किशनगंज तथा अररिया।

पटना, दिनांक

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस–110–ग्राम पुलिस–चौकीदार दफादार स्थापना अंतर्गत विभिन्न विषयशीर्षो में आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक–423 / वि0, दिनांक 31.03.2016 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2016 के पारित होने एवं प्रथम अनुपूरक [illegible] वर्दी / पोशाक मद में उपबंधित राशि ₹ 4,85,38,000 (चार करोड़ पचासी लाख अड़तीस हजार रू0) मात्र सहित चौकीदार / दफादार स्थापना के विभिन्न विषय शीर्षो में संलग्न विवरणी–I के अनुसार कुल ₹ 6,26,78,000 (छह करोड़ छब्बीस लाख अठहत्तर [illegible]) का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष–2055 पुलिस [illegible] शीर्ष–00, लघु शीर्ष–110–ग्राम पुलिस, उप शीर्ष–0001–चौकीदार–दफादार स्थापना के विभिन्न विषय शीर्षो एव [illegible] के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार–दफादार [illegible] संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस आवंटित राशि से किया जाय [illegible] राशि की मांग की जाय।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

5. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

6. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

7. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

9. डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

11. उपर्युक्त में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–6 / ब0गै0यो0–01–14 / 2016गृ0आ0...पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी–जिला कोषागार–पटना / नालन्दा / भोजपुर / बक्सर / रोहतास / कैमूर / गया / नवादा / औरंगाबाद / जहानाबाद / अरवल / सारण / सीवान / गोपालगंज / मुजफ्फरपुर / पूर्वी चम्पारण / पश्चिम चम्पारण / वैशाली / सीतामढ़ी / शिवहर / दरभंगा / समस्तीपुर / मधुबनी / भागलपुर / बांका / मुंगेर / जमुई / बेगूसराय / लखीसराय / शेखपुरा / खगड़िया / सुपौल / मधेपुरा / सहरसा / कटिहार / पूर्णियाँ / किशनगंज तथा अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–6 / ब0गै0यो0–01–14 / 2016गृ0आ0 29 .... पटना, दिनांक 6/7/16

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / पूर्णिया / भागलपुर / मुंगेर / दरभंगा / मगध प्रमंडल, गया / तिरहुत [illegible] मुजफ्फरपुर / सारण प्रमंडल छपरा तथा कोशी प्रमंडल सहरसा / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
06/07/16